

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 में भवन निर्माण संबंधी अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा हेतु किये गये प्रावधानों के आलोक में उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ की अध्यक्षता में नक्शा समिति के सदस्यों के साथ दिनांक 04.08.2021 को हुई बैठक की कार्यवाही का पृत्त-

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 में भवन निर्माण संबंधी अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा हेतु किये गये प्रावधानों के आलोक में उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ की अध्यक्षता में नक्शा जाँच समिति के सदस्यों के साथ दिनांक 04.08.2021 को बैठक सम्पन्न की गई। उक्त समिक्षात्मक बैठक में समिति के निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए -

1. उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ - अध्यक्ष
2. कुमार सर्वानन्द, नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग - सदस्य
3. अचलेश नंदन, वास्तुविद्, बि०पु०भ०नि० - सदस्य
4. इन्द्रजीत कुमार, अग्निशामालय पदाधिकारी - सदस्य
5. अजीत कुमार, अग्निशामालय पदाधिकारी - सदस्य
6. अरनव कुमार, अग्निशामालय पदाधिकारी - सदस्य

समिति के द्वारा बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 के प्रावधानों को नक्शा पारित करने के कार्य में लागू किये जाने के बिन्दु पर विस्तृत विमर्श हुआ। विमर्श के पश्चात उक्त बैठक में सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गये -

01. बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 के अध्याय-IV के नियम 15 के आलोक में निदेशालय स्तर पर निदेशक के नियंत्रणाधीन एक समिति (अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कंध) द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रतिवेदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
02. राष्ट्रीय भवन संहिता (Part-IV) 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप भवन की ऊँचाई एवं प्रकार को आधार मानते हुए प्रोटेक्टर फायर संयंत्र, हाइड्रैन्ट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, डाउन कम्बर सिस्टम, फायर एलार्म सिस्टम (स्वचालित/मैन्युअल), स्मॉक डिटेक्टर सिस्टम आदि का अधिष्ठापित करना अनिवार्य है।
03. सभी सरकारी/गैर सरकारी भवनों के लिए शुल्क देय होगा (अनुसूची-ग)।
04. यदि किसी बहुमंजिलीय भवन का कुछ हिस्सा/फ्लोर व्यवसायीक इस्तेमाल हेतु और शेष आवासीय इस्तेमाल हेतु उपयोग किया जाना है तो Total Built-up Area का दर व्यवसायीक श्रेणी के अन्तर्गत अनुसूची (ग) के आधार पर गणना कर देय होगा। भवनों के श्रेणी का निर्धारण एवं Multiple use श्रेणी के भवनों हेतु शुल्क के निर्धारण के संबंध में संशय अथवा विवाद उत्पन्न होने पर उक्त के संबंध में समिति का निर्णय मान्य होगा, एवं आवश्यकतानुसार अपील प्रार्थना के पास अपील की जा सकेगी।
05. बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 के अध्याय-IV के नियम-15 के आलोक में निम्न श्रेणियों के भवनों हेतु अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को अनिवार्य किया गया है। भवनों की श्रेणी निम्नवत है -
 - (i) सभी श्रेणी के बहुमंजिले भवन (15 मीटर और इससे अधिक ऊँचाई वाले) अथवा भूतल क्षेत्र 500 वर्ग मीटर (किसी भी तल)
 - (ii) विशिष्ट भवन, जैसे- होटल, शैक्षिक, सार्वजनिक, वाणिज्यिक, मर्केन्टाईल, औद्योगिक, भंडारण, जोखिम वाला भवन तथा मिश्रित अधिभोग वाले भवन जहाँ इस प्रकार के भवनों में से किसी भी भवन के किसी एक या अधिक फर्शों का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक हो।
 - (iii) शैक्षिक, सार्वजनिक भवन जिसकी ऊँचाई 09 मीटर या उससे अधिक हो।
 - (iv) सभी सभा भवन
 - (v) भवन जिसके किसी तल पर 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र सभा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता हो या चिह्नित हो।
 - (vi) दो या दो से अधिक तहखाना (बेसमेंट) वाले भवन अथवा 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का एक तहखाना वाला भवन।
 - (vii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य भवन के स्वामी के द्वारा भी राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के अग्नि एवं जीवन सुरक्षा से संबंधित भाग-IV के प्रावधान के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्णय लिया जा सकता है।

अतः निकट भविष्य में भारी संख्या में NOC हेतु आवेदन प्राप्त होने की संभावना है। ऐसे में Fire Safety and Prevention Wing/No Objection Certificate समिति/नक्शा समिति के सहयोग हेतु NOC प्रशाखा के गठन एवं सुदृढीकरण की आवश्यकता होगी जो संबंधित अभिलेखों का संधारण करेगी एवं NOC समिति के समक्ष आवेदन उपस्थापित कराने का कार्य करेगी तथा भविष्य में NOC की प्रक्रिया online होने पर भी आवश्यक कार्रवाई करेगी। अतः एक सुदृढ NOC शाखा के गठन करने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है। उक्त शाखा में 1 प्रभारी के अतिरिक्त न्यूनतम 4 अन्य कर्मों की आवश्यकता होगी।

06. NOC हेतु आवेदनों की संख्या में संभावित वृद्धि के आलोक में NOC समिति की बैठक को नियमित रूप से आहूत किया जाना भी अनिवार्य है। प्रत्येक पखवारे में न्यूनतम एक बार NOC समिति की बैठक आहूत किये जाने का प्रावधान किया जाना श्रेयस्कर होगा। प्रत्येक alternate मंगलवार को यह बैठक आहूत किये जाने का समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

07. बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 के नियम 14 के अनुसार NOC समिति के सदस्यों को निम्न रूप से नामित किया गया है -

- | | |
|---|-----------|
| 1. राज्य अग्निशमन पदाधिकारी | - अध्यक्ष |
| 2. अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी | - सदस्य |
| 3. उप निदेशक-सह-प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी | - सदस्य |
| 4. सहायक प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी | - सदस्य |
| 5. जिला अग्निशमन पदाधिकारी | - सदस्य |
| 6. सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी | - सदस्य |
| 7. राज्य अग्नि परामर्शी एवं सलाहकार | - सदस्य |
| 8. वास्तुविद परामर्शी एवं सलाहकार | - सदस्य |
| 9. विधिक परामर्शी एवं सलाहकार | - सदस्य |

समिति द्वारा विमर्शोपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्तमान में प्रस्तावित समिति के सदस्यों में से क्रम सं० 3, 4, 6 व 7 के पद सृजित नहीं है व 9 का पद वर्तमान में रिक्त है। निम्न कार्यवाही आवश्यक है।

(a) वास्तुविद परामर्शी - इनकी समिति में प्रतिनियुक्ति हेतु गृह विभाग से पत्राचार करना आवश्यक है।

(b) विधिक परामर्शी - इनकी समिति में प्रतिनियुक्ति हेतु गृह विभाग से पत्राचार करना आवश्यक है।

(c) राज्य अग्नि परामर्शी एवं सलाहकार - पद सृजन अथवा संविदा के आधार पर बहाली प्रक्रियाधीन है। तब तक अन्य सरकारी विभाग (एस.बी.आई., ओ.एन.जी.सी., ए.ए.आई. आदि) से समान्तर अहर्ता वाले परामर्शी को समिति में प्रतिनियुक्ति करने हेतु यह समिति अनुशंसा करती है।

(d) जिला अग्निशमन पदाधिकारी - रोस्टर के अनुसार Rotation में 1 DFO को बुलाया जायेगा।

(e) बिन्दु 3,4,8 के पद रिक्त होने के कारण समिति में वर्तमान में 1 अग्निशमालय पदाधिकारी को शामिल किया जा सकता है - रोस्टर के अनुसार Rotation में 1 FSO को बुलाया जायेगा।

बैठक में 50% Quorum पुरा होने के उपरान्त ही NOC नक्शा समिति की बैठक की जाएगी।

08. अनापत्ती प्रमाण पत्र भवन निर्माण के तीन स्थिति में दिया जाना है यथा

- भवन निर्माण के पूर्व औपबंधिक प्रमाण पत्र दिया जायेगा जो अग्नि आपदा से भवन को सुरक्षित बनाने हेतु सलाह माना जाएगा।
- भवन निर्माण के बाद औपबंधिक अनापत्ती प्रमाण पत्र में दिये गये सलाह के अनुपालन का जाँचोपरांत अंतिम अनापत्ती प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- अंतिम अनापत्ती प्रमाण पत्र निर्गत के बाद विभिन्न श्रेणी के भवनों के लिए प्रमाण पत्र की विहित वैधानिक अवधि के समाप्ती के बाद निर्धारित समय के अंदर अनापत्ती प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराना होगा।

09. औपबधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु आवश्यक कागजात:-

- (क) प्रपत्र-ख
- (ख) नक्शा 2 रोट।
- (ग) एनओसी के लिए फिक्स शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (अनुसूची-‘ग’)
- (घ) चेक लिस्ट (प्रपत्र-‘ग’)
- (ङ) शपथ पत्र/घादा (प्रपत्र-‘घ’)
- (च) 15% बैंक गारंटी।

10. अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु आवश्यक कागजात :-

- (क) प्रपत्र-‘झ’
- (ख) एनओसी के लिए फिक्स शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (अनुसूची-‘ग’)
- (ग) चेक लिस्ट (प्रपत्र-‘ग’)

11. अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन के लिए आवश्यक कागजात :-

- (क) प्रपत्र-‘ड’
- (ख) एनओसी के लिए फिक्स शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (अनुसूची-‘ग’)
- (ग) चेक लिस्ट (प्रपत्र-‘ग’)
- (घ) अग्नि विशेषज्ञ जाँच प्रतिवेदन।

12. बिहार अग्निशमन सेवा 2021 के अनुसूची ‘ग’ के अंतर्गत भवन के सभी मंजिलों (बेसमेंट सहित) के कुल फर्श क्षेत्र (Floor Area) के आधार पर प्रति वर्ग मीटर के दर से शुल्क Director, State Fire Service, Bihar, Patna के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तावित नक्शा के साथ राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, लोदीपुर, बिहार, पटना-800001 के दुसरा तल्ला पर समय-सुबह 9:30 बजे से संध्या 6:00 बजे तक किसी भी कार्यालय दिवस में जमा किया जाएगा। सभी आवेदकों को विहित प्रपत्र (साथ संलग्न) में प्राप्ति रशीद दी जायेगी।

13. अनापत्ति प्रमाण पत्र/नवीनीकरण/अग्नि अंकेक्षण/अग्नि परामर्श हेतु शुल्क का उदग्रहण हेतु निर्धारित शुल्क दर निम्न प्रकार है:-

(अनुसूची ‘ग’)

भवन का श्रेणी	भवन के सभी मंजिलों (बेसमेंट सहित) के कुल फर्श क्षेत्र (Floor Area) के आधार पर प्रति वर्ग मीटर के दर से शुल्क निर्धारण				
	औपबधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र	अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र	अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण	अग्नि अंकेक्षण	अग्नि परामर्श
आवासीय	₹ 02	₹ 01	₹ 01	₹ 01	₹ 01
सभा भवन/सांस्थिक भवन	₹ 04	₹ 02	₹ 02	₹ 02	₹ 02
शैक्षिक	₹ 06	₹ 03	₹ 03	₹ 03	₹ 03
वाणिज्यिक/मर्कनटाईल	₹ 08	₹ 04	₹ 04	₹ 04	₹ 04
भण्डारण/औद्योगिक/खतरनाक भवन	₹ 10	₹ 05	₹ 05	₹ 05	₹ 05

14. प्रस्तावित भवन के नक्शा के साथ बिहार अग्निशमन सेवा 2021 के नियम 15 (च) II में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक अग्नि प्रणाली के प्रावधान से संबंधित प्राक्कलन समर्पित करना होगा। उक्त प्राक्कलन का 15% बैंक गारंटी इस आशय के अंडरटेकिंग के साथ देना होगा की आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय को कारगर स्थिती में रखा जाएगा। उक्त 15% राशि का निर्धारण Director General, CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi द्वारा निर्गत Plinth Area Rates, 2020 के अनुरूप किया जाएगा (छायाप्रति संलग्न)। अन्यथा उक्त बैंक गारंटी के विरुद्ध उक्त भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों को कारगर स्थिती में रखने हेतु अग्निशमन विभाग द्वारा व्यय किया जाना है।

ऐसी स्थिती में अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए बैंक गारंटी राशि से व्यय करने के लिए राज्य अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा, महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर, किसी Vendor/एजेंसी को Quotation/निविदा के आधार पर कार्य आदेश निर्गत किया जायेगा।

15. बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 के अनुसूची 'ग' के अंतर्गत प्रावधानित दर के अनुसार नक्शा का कुल Built-up Area के आधार पर गणना कर संबंधित फर्म से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से NOC शुल्क व बैंक गारण्टी राशि प्राप्त किया जाना है एवं प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा के सरकारी खाता सं०-10839117296 में जमा किया जाना है।

16. प्राप्त नक्शा का स्थल जाँच कराने हेतु संबंधित जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पास भेजा जाएगा। तत्पश्चात उनके द्वारा 4 (चार) दिनों के अंदर स्थल जाँच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है। स्थल जाँच हेतु प्रपत्र में भविष्य में आवश्यकतानुसार संशोधन NOC समिति द्वारा किया जा सकेगा।

17. अग्नि निवारण एवं सुरक्षा रणध (FSPW), भवन मालिक या अधिभोगी को स्वयं या उनके द्वारा नियोजित वास्तुविद को प्राप्त भवन योजनाओं में उपांतरण (Modification) करने का निदेश देगा एवं 30 दिनों के अंतर्गत निदेशों का अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में उक्त भवन योजना नामंजूर की जा सकेगी।

18. नक्शा स्वीकृत होने के पश्चात उक्त राशि को चालान के माध्यम से सरकारी खजाना में जमा की जायेगी। NOC अस्वीकृत होने की स्थिति में संबंधित फर्म को जमा किया शुल्क वापस नहीं होगा, परन्तु बैंक गारण्टी अस्वीकृत किये नक्शा के साथ वापस किया जाएगा। इस कार्य हेतु लेखा शाखा (निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा का कार्यालय) द्वारा नई पंजी खोली जायेगी ताकि राशि का संधारण किया जा सके।

19. राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के कार्यालय, बिहार, पटना में प्राप्त नक्शा को 30 दिनों के अन्दर निष्पादन करने हेतु समिति अनुशंसा करती है।

20. बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 के अनुसार औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु (प्रपत्र ड) दिया जाएगा एवं अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु (प्रपत्र ज) दिया जाएगा।

21. भवन निर्माण हेतु सभी निहित प्रावधानों को पुरा करने पर ही औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। इस आशय का समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

22. बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 के आलोक में भवन निर्माण संबंधित ऑनलाइन क्रियान्वयन कराने का प्रावधान है। वर्तमान में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में जबतक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तबतक उपरोक्त नियम के अनुपालन के साथ भौतिक रूप से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

23. भवन निर्माण की अग्नि निवारण एवं सुरक्षा योजना का निरीक्षण एवं तत्संबंधित प्रमाण पत्रों का निर्माण से संबंधित प्रावधान के संबंध में आम जन को जानकारी हेतु कंडिका 8, 9, 10, 11, 12, 13 से संबंधित जानकारी का प्रकाशन समाचार पत्रों में किये जाने एवं उसे कार्यालय नोटिस बोर्ड में चिपकाये जाने की समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है ताकि आम जन बेहतर एवं सरल तरीके से NOC की प्रक्रिया को समझ सके।

24. NOC संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कार्यालय दुरभाष नं०:- 0612-2222020 पर संपर्क किया जा सकता है।

25. नक्शा जमा करने एवं NOC प्राप्त करने से संबंधित प्रपत्र गृह विभाग का वेबसाइट-
<http://home.bihar.gov.in/CMS/fireNOC.aspx> से Download किया जा सकता है। भविष्य में विभागीय वेबसाइट बनने पर इसपर Upload किया जाएगा।

(अरव कुमार)
अग्निशमन सेवा पदाधिकारी,
पुलवाशरीरतक।

(अजीत कुमार)
अग्निशमन सेवा पदाधिकारी,
पटना।

(इन्द्रजीत कुमार)
अग्निशमन सेवा पदाधिकारी,
राजपुर।

(अधर्लेश नंदन)
वास्तुविद,
मि० ७७०५०१०१०, पटना।

(कुमार रघुनन्द)
नगर निवेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(जितेन्द्र मिश्र)
06/08/21